



UPKJ010047522025

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज।

पीठासीन अधिकारी- नरेन्द्र कुमार झा, उच्चतर न्यायिक सेवा-UP02007

प्रकीर्ण वाद संख्या-109/74/2025

उ.प्र. सरकार आदि बनाम महेश कटियार

दिनांक 02.04.2026

### आदेश

प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत हुआ। वर्तमान प्रकीर्ण वाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मूलवाद संख्या-111/2004 में विद्वान सिविल जज(सी.डि.)/एफ.टी.सी., कन्नौज द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.10.2025 को आक्षेपित किया गया है। उक्त आदेश द्वारा अपील संख्या-11/2019 में पारित आदेश दिनांकित 11.12.2019 के अंतर्गत आदेश 41 नियम 25 सी.पी.सी. के तहत Remand (प्रतिप्रेषण) किए गए दो वाद बिंदुओं पर अपना अभिमत व्यक्त किया गया है।

संक्षेप में वाद का प्रकार यह है कि मूलवाद के वादी महेश कटियार द्वारा एक Money recovery (वसूलयाबी धनराशि) मूलवाद संख्या-111/2004 दाखिल किया गया था, जिसे आदेश दिनांक 03.02.2018 के द्वारा स्वीकार किया गया था। उक्त आदेश को राज्य सरकार द्वारा अपील संख्या-11/2019 से चुनौती दी गई, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2019 को स्वीकार कर लिया गया तथा निम्न आदेश पारित किया गया-

अपीलार्थी/प्रतिवादीगण उ.प्र. राज्य द्वारा जिलाधिकारी कन्नौज आदि की ओर से प्रस्तुत सिविल अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सिविल जज(सी.डि.), कन्नौज द्वारा मूलवाद संख्या-111/2004 महेश कटियार बनाम उ.प्र. राज्य आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2018 अपास्त किया जाता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली आदेश 41 नियम 25 सी.पी.सी. के अंतर्गत इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह न्यायालय द्वारा विरचित किए गए दोनों वाद बिंदुओं पर अतिरिक्त साक्ष्य यदि आवश्यक हो लेकर उपरोक्त दोनों वाद बिंदुओं का विचारण कर और अपना निष्कर्ष कारित सहित दो माह के भीतर पत्रावली अपील न्यायालय को वापस लौटा देंगे। उभयपक्ष विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.01.2020 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब वापस प्रतिप्रेषित की जाए।

उक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मूलवाद संख्या-111/2004 में पारित आदेश दिनांकित 03.02.2018 को अपास्त कर दिया गया अर्थात् अपील को अन्तिम रूप से अपीलार्थी के पक्ष में निस्तारित कर दिया गया, किन्तु उक्त आदेश में यह भी अंकित किया गया कि पत्रावली को आदेश 41 नियम 25 सी.पी.सी.के तहत दो वाद बिंदु जो कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार व मूलवाद के कालबाधित से संबंधित थे, पर अपना मत व्यक्त करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाए।

विद्वान सिविल जज(सी.डि.)/एफ.टी.सी., कन्नौज द्वारा सिविल अपील संख्या-11/2019 में पारित आदेश के आलोक में आदेश दिनांकित 17.10.2025 पारित किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों वाद बिंदु उनके पक्ष में निर्णीत नहीं किए गए हैं, इसलिए उनके द्वारा उक्त वाद बिंदुओं को चुनौती दी गई है।

वर्तमान प्रकरण में यह स्पष्ट है कि सिविल अपील जिसमें आदेश 41 नियम 25 सी.पी.सी. के तहत दो बिंदुओं पर निष्कर्ष हेतु पत्रावली प्रेषित की गई थी वह उसी आदेश के तहत अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया था तथा इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान में कोई भी अपील उक्त मूलवाद से संबंधित विचारण हेतु उपलब्ध नहीं है। सामान्यतया जब न्यायालय आदेश 41 नियम 25 सी.पी.सी. में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती है तो अपील को विचारण हेतु रख लेती है या अपील को Remand (प्रतिप्रेषण) कर देती है। इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया है।

दूसरा बिंदु यह भी है कि जो वाद का प्रमुख बिंदु है वह अपीलीय न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में पूर्व में ही निस्तारित किया जा चुका है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.02.2018 को निरस्त किया जा चुका है। मूलवाद में जो आदेश दिनांक 03.02.2018 को पारित किया गया था वह निश्चित रूप से विद्वान न्यायालय द्वारा यह मानते हुए किया गया था कि मूलवाद न तो कालबाधित है तथा वह मियाद अधिनियम के किसी प्रावधान से बाधित नहीं है, जबकि जब कोई भी आदेश विद्वान न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से पारित किया जाता है तो यह माना जाता है कि उस न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार में मानते हुए आदेश पारित किया है। न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 17.10.2025 को पारित किया गया है वह इसी आशय का है कि न्यायालय द्वारा जो आदेश दिनांक 03.02.2018 को पारित किया गया था वह उसके क्षेत्राधिकार में था तथा मूलवाद कालबाधित नहीं था। इस प्रकार दोनों ही वाद बिंदुओं में दिए गए निष्कर्ष का मूल अपील पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। चूंकि विपक्षी द्वारा सिविल अपील संख्या-111/2019 में पारित आदेश दिनांकित 11.12.2019 को कहीं भी चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी परिस्थिति में विद्वान न्यायालय द्वारा दिए गए दोनों निष्कर्ष का आदेश दिनांकित 11.12.2019 पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। उपरोक्त परिस्थिति में प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है। प्रकीर्ण वाद नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(नरेन्द्र कुमार झा )  
जनपद न्यायाधीश,  
कन्नौज।  
J.O.CODE-UP02007